HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 2022/2026
CNR: RJHC021020472026 | URN: CRLR / 3776U / 2026

Dream India Holiday, Through Prop. Rajesh Sharma, Address- A-164, Laxmi Vihar Colony, Jayanti Nagar, In Front Of 52 Feet Hanuman Ji, Agra Road, Jaipur- 302031

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.p
2. M/s R.r. Trading Company Through Prop. Anurag Tanbi, Address- Plot No. 117A, Govind Nagar- West, Extension Shivaji Marg- 8, Amer Road, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Hemant Kankoriya
For Respondent(s)	:	Mr. Jitendra Singh Rathore, PP Mr. Manoj Kumar Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

29/10/2026

1. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438 सपठित धारा 442 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जो विद्वान अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–06 जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या सं. 112/2022 (सीआईएस संख्या 751/2022) में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2023 के आदेश के विरुद्ध है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए विद्वान न्यायालय– विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम संख्या–04, जयपुर महानगर, द्वितीय द्वारा सीआईएस सं. 42754/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2022 की पुष्टि की गई थी। उक्त निर्णय द्वारा अभियुक्त–याचिकाकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए तीन माह के साधारण कारावास व 2,60,000/– रुपये के अर्थदण्ड एवं

Digitally signed by
RAMESHWAR
PRASAD
Date: 2026.10.31
13:49:53 IST

अदम अदायगी अर्थदंड अतिरिक्त तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया था।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। परिवादी को पक्षकारों के मध्य सहमत राशि प्राप्त हो चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण याचिका को निस्तारित किया जाए।

3. परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि पक्षकारों ने आपसी सहमति से विवाद का निस्तारण कर लिया है तथा परिवादी को उक्त याचिका के निस्तारण किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

5. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पक्षकारों के मध्य विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण हो चुका है तथा परिवादी को उक्त राजीनामे पर कोई आपत्ति नहीं है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 में निहित सिद्धान्त तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Damodar S. Prabhu vs. Sayed Babalal H., (2010) 5 SCC 663**,एवं **Sanjabij Tari vs. Kishore S. Borcar & Ors., 2025 INSC 1158** के प्रकरणों में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sanjabij Tari (supra)** में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों के आलोक में, अपराध के राजीनामे हेतु प्रयास करने में याचिकाकर्ता/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से एक माह की अवधि में 10,000/– रुपये की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला, जयपुर में जमा करवाए। यदि याचिकाकर्ता/अभियुक्त निर्धारित राशि एक माह की उक्त

अवधि के भीतर उक्त राशि जमा करवाने में असफल रहता है, तो यह आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जाएगा।

7. परिणामस्वरूप, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे को स्वीकार किया जाता है। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम–06 जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या सं. 112/2022 (सीआईएस संख्या 751/2022) में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2023 तथा विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम संख्या–04, जयपुर महानगर, द्वितीय द्वारा सीआईएस सं. 42754/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2022 के निर्णय अपास्त किए जाते हैं। याचिकाकर्ता को राजीनामे के आधार पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। याचिकाकर्ता जमानत पर हैं तथा उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

8. उपरोक्तानुसार पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।

9. प्रकरण से संबंधित प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, तो उनका भी उक्त याचिका के साथ निस्तारण किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

97/RAMESHWAR PRASHAD